रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ. / भोपाल

दावा आवेदन कमांक	:	OA-IIu/BPL/128/2022
दावा पंजीकरण तिथि	:	10-10-2022
आदेशार्थ रखने की तिथि	:	10th July, 2024
आदेश तिथि	:	19th July, 2024

1) श्रीमती भारती अहिरवार पत्नी स्व0 श्री सुनीलकुमार अहिरवार,
2) नितिन अहिरवार पुत्र स्व0 श्री सुनीलकुमार अहिरवार,
3) कुमारी हनी पुत्री स्व0 श्री सुनीलकुमार अहिरवार,
4) कुमारी हर्षिता पुत्री स्व0 श्री सुनीलकुमार अहिरवार,
(आवेदक कमांक–2, 3 एवं 4 अवयस्क होने से नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता के रूप में आ0क0–1 द्वारा)
5) खिलान अहिरवार आत्मज स्व0 श्री जवाहर अहिरवार,
6) श्रीमती शांतिबाई पत्नी श्री खिलान अहिरवार,
निवासी–ग्राम हिन्नौद, पोस्ट–आगासौद,
थाना–भानगढ़, तहसील–बीना जिला–सागर (म0प्र0)

...............आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद (उ0प्र0)

............रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री आनन्द किशोर ओझा, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री सुरेश नारायण सक्सेना, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पति/पिता/पुत्र मृतक *सुनील कुमार अहिरवार आत्मज श्री खिलान अहिरवार* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 के सेक्शन–16 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *08 लाख* प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है.

2. आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि 32 वर्षीय मृतक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बीना के अधीन नौकरी करता था और दिनांक 08-03-2020 को संगम स्नान करने इलाहाबाद जा रहा था. उसको मित्र–राहुल राय बीना रेलवे स्टेशन छोड़ने गया और मृतक ने उसके सामने अपने लिए इलाहाबाद का जनरल टिकट तथा मित्र के लिए प्लेटफार्म का टिकट खरीदा और मृतक तुलसी एक्सप्रेस संख्या–22129 के जनरल कोच में सवार हो गया तथा मित्र अपने घर लौट आया. जनरल कोच में अत्याधिक भीड़ होने के कारण मृतक को बैठने की जगह नहीं मिल पाई और मजबूरीवश वह अन्य यात्रियों के साथ ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े बैठकर यात्रा करते समय अचानक ट्रेन का झटका, तेज हवा का झोंका एवं भीड़ का धक्का लगने से बरूआसागर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और

निरंतर.........2/पर

Sd

रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ, भोपाल — प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

29/7/24
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

आई हुई गंभीर चोटों से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. मृतक की जेब से आधारकार्ड एवं मोबाइल से पुलिस द्वारा भानगढ़ पुलिस को सूचित किया जिसके आधार पर परिजनों को सूचना प्राप्त होने पर घटनास्थल पर पहुँचकर पहचान की. पुलिस द्वारा घटना को मर्ग संख्या–84/2020 दिनांक 09–03–2020 के अधीन पंजीबध्द कर आगे की कार्यवाही संपन्न की. मृतक के शरीर पर पहने हुए कपड़े पूरी तरह से फट जाने से यात्रा का टिकट गुम हो गया, हालांकि आधारकार्ड, मोबाइल एवं अन्य सामान बरामद हुआ है. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट में मृतक पति/पिता/पुत्र की मृत्यु हो जाने से पत्नी, संतान और माता–पिता के तौर आवेदक ही आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

3. रेस्पाडेन्ट ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जांच जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर अपने जवाबदावे में दावे का पुरजोर विरोध करते हुए यही कहा है कि मृतक के तुलसी एक्सप्रेस से यात्रा करने का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रमाण अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं है, उसके साथ घटित घटना का भी कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है. मृतक का शव क्षत्–विक्षत् अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया था, मृतक के पास मोबाइल फोन, एक मोटर साइकिल की चाबी, मोहर तथा आधारकार्ड बरामद हुआ है, किन्तु यात्रा का कोई टिकट नहीं मिला है, वहीं मृतक की पत्नी अर्थात् आवेदक कमांक–1 के कथनानुसार मृतक दिनांक 08.03.2020 को घर से बिना बताए कहीं चला गया था एवं जब देर रात वापिस नहीं आने पर परिजनों द्वारा रात्रि में सिविल पुलिस थाना, बीना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, बाद में मृतक के मृत्यु की जानकारी पुलिस से प्राप्त हुई थी, इस प्रकार मृतक के पास अन्य सामान मिलना, किन्तु यात्रा का टिकट नहीं मिलना, मृतक के बिना बताये घर से चले जाना, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होना, शव क्षत–विक्षत अवस्था में प्राप्त होना इत्यादि को देखते हुए घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से गिरने की न होकर किसी अन्य कारण से घटित हुई है. अतः मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए इसी आधार पर दावा आवेदन को सव्यय खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट की ओर से की गई है.

4. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 30-06-2023 को निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger at the time of incident ?*

2) *Whether the death of deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

निरंतर.........3/पर

Sd/

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

4) Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?

5) Relief and cost ?

5. आवेदकों की ओर से क्रमांक–1 ने साक्षी के तौर पर स्वयं के शपथपत्र (AW/1) के साथ–साथ टिकट खरीदने के साक्षी के तौर पर श्री राहुल राय को भी शपथपत्र के साथ (AW/2) उपस्थित कराते हुए लिखित साक्ष्य के रूप में A-1 to A-17 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं. वहीं रेस्पांडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट (R-1) को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जॉच करने वाले अधिकारी–श्री रणविजय कुमार मौर्य, एएसआई / आरपीएफ, आउटपोस्ट, मऊरानीपुर को भी शपथपत्र (RW/1) के साथ उपस्थित कराया है. दोनों ही पक्षों के तीनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

6. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

<u>इश्यूज क्रमांक–1 एव 2 :</u>

7. विवरण में तारतम्यता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. आवेदकों की ओर से साक्षी–AW/2 को इस आशय के साथ उपस्थित कराया गया है कि इसने तत्समय मृतक को बीना स्टेशन छोड़ा था और इसी के सामने मृतक ने अपने लिए इलाहाबाद का यात्रा टिकट एवं इस साक्षी के लिए प्लेटफार्म का टिकट खरीदा था.

8. दूसरी ओर रेस्पांडेन्ट ने रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003 के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट (R-1) कहा गया है, के आधार पर मृतक के पास आधारकार्ड, मोटर साइकिल की चाबी, मोहर आदि मिलना किन्तु यात्रा का टिकट नहीं मिलने से तथा मृतक का शव बरूआसागर रेलवे स्टेशन पर क्षत–विक्षत अवस्था में पाये जाना, यात्रा करने एवं गिरने का कोई साक्षी नहीं होने से घटना यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से गिरने की न होकर किसी अन्य कारण से घटित होना बताया है. मृतक की पत्नी के कथन (आर–1 / 5) के अनुसार मृतक घटना दिनांक को बिना बताये घर से कहीं चला गया था, जिसकी परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाने का इस साक्षी ने अपने उक्त कथन में स्वीकार किया है. बहस के दौरान रेस्पांडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यही तर्क पेश किया गया है कि जब आवेदकों को पहले ही दिन से ज्ञात था कि मृतक को इलाहाबाद की यात्रा के लिए साक्षी–AW/2 ने छोड़ा था तो आवेदकों द्वारा मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाना उनके ही दावे को खारिज करता है कि मृतक तत्समय यात्रा कर रहा था.

9. मेरे द्वारा परिस्थितिजन्य हालातों व उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का

निरंतर......4/पर

Sd

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

गहनता से परिशीलन किया एवं पक्ष–विपक्ष द्वारा पेश किये गये तर्कों को गंभीरता से सुना. साक्षी–*AW/1* ने अपने कथनों के दौरान मृतक द्वारा दिनांक 08–03–2020 को तुलसी एक्सप्रेस से बीना से इलाहाबाद की यात्रा सेकण्ड क्लास जनरल का टिकट मृतक द्वारा अपने मित्र राहुल के सामने खरीदने का कहा है एवं यह भी कहा है कि जब ट्रेन बरूआसागर स्टेशन के पास थी तो मृतक चलती ट्रेन से गिर गया था आई चोटों से उसकी मृत्यु हो गई. अपने उपर्युक्त कथनों के समर्थन में आवेदकों की ओर से प्रदर्श ए–1 लगायत ए–5 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिसमें मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरकर आई चोटों से हो जाना बताया है. ए–5 पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें मृतक को जो चोटें आई हैं, वे रेल दुर्घटना से आई हुई चोटें होना प्रतीत होती है. रेस्पांडेन्ट रेलवे की ओर से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें इस बात का खण्डन नहीं किया गया है कि मृतक को जो चोटें आई हैं, वे यात्रा के समय न होकर ट्रेन दुर्घटना से उक्त प्रकार की चोटें आना संभव नहीं है. अन्य साक्षी–राहुल *(AW/2)* ने भी मृतक के तुलसी एक्सप्रेस के लिए टिकट खरीदकर यात्रा करना बताया है. रेस्पांडेन्ट की ओर से इन दोनों साक्षियों का प्रति–परीक्षण किया गया है, किन्तु इनके प्रति–परीक्षण से रेस्पांडेन्ट ऐसा कोई तथ्य प्रगट नहीं करवा पाया है जिससे यह साबित हो सके कि घटना के समय मृतक ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था एव उसकी मृत्यु टकराने से हुई थी, न कि ट्रेन से गिरने से. अपितु, रेस्पांडेन्ट की ओर से उपस्थित साक्षी–RW/1 जो कि जांचकर्ता भी है, ने अपने प्रति–परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने ए–2 का अवलोकन किया है जिसमें पंचों ने ट्रेन से गिरकर आई चोटों से मृत्यु की राय दी है.

10. जहॉ तक रेस्पांडेन्ट की ओर से यह कहना कि आवेदिका ने प्रति–परीक्षण के दौरान तथा अपने दावे में कहा है कि उसने अपने पति के सम्बन्ध में यात्रा दिनांक को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन इस साक्षी ने प्रति–परीक्षण के दौरान कहा है कि उसने गुमशुदगी रिपोर्ट तो लिखाई थी लेकिन उसके पति द्वारा टिकट खरीदने एवं तुलसी एक्सप्रेस से यात्रा करने की बात उसके पति के मित्र–राहुल *(AW/2)* द्वारा बताये जाने पर इस साक्षी ने उक्त बात को अपने दावे व कथनों में बताया है. साक्षी–राहुल *(AW/2)* द्वारा भी अपे शपथपत्र एवं प्रति–परीक्षण के दौरान घटना दिनांक को मृतक द्वारा बीना से इलाहाबाद तक की यात्रा का टिकट खरीदना एवं तुलसी एक्सप्रेस में यात्रा करने के सम्बन्ध में कथन की पुष्टि की है. रेस्पांडेन्ट की ओर से इस साक्षी–राहुल *(AW/2)* से प्रति–परीक्षण के दौरान साक्षी ने जो जवाब दिये हैं, वह इस साक्षी के कथन को संदेहपूर्ण नहीं बनाते हैं. इस प्रकार आवेदकों ने साक्षी–राहुल *(AW/2)* की गवाही से **माननीय सुप्रीमकोर्ट के *भारत संघ वि0 रीना देवी प्रकरण*** CIVIL APPEAL NO. 4945 OF 2018 *(SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO.10223 @ D.NO.6059 OF 2018; decided on 09th May, 2018)* **के पैरा कमांक**–17.1 के आधार पर मृतक के बोनाफाइड पैसेन्जर होने का अपना दायित्व साबित कर रेस्पांडेन्ट रेलवे पर स्थानांतरित कर दिया है, जिसको रेस्पांडेन्ट की ओर से खंडित नहीं किया जा पाया है. तदनुसार परिस्थितिजन्य हालातों व प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों के मद्देनजर मैं यह अवधारित करता हूँ कि घटना आवेदकों के कथनानुसार ही घटित हुई है, जब मृतक

निरंतर.......5/पर

Sd/

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर घटना दिनांक को तुलसी एक्सप्रेस से बीना से इलाहाबाद तक की यात्रा करने के दौरान घटनास्थल पर अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन चलती ट्रेन से नीचे गिरकर आई हुई चोटों से मृत हुआ था एवं इस प्रकार यह घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट में ही समाहित होती है. अतः इश्यूज का विनिश्चय आवेदकों के पक्ष में किया जाता है.

इश्यूज कमांक–3 :

11. घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के बाहर की घटना होने को रेस्पांडेन्ट साबित नहीं कर पाया है, इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

इश्यूज कमांक–4 एवं 5 :

12. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति/पिता की मृत्यु हो जाने से पत्नी, संतान एवं माता–पिता के तौर पर आवेदक आश्रित होने से उनकी ओर से दावा दाखिल किया गया है एवं अपनेआप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा आधारकार्ड, आवेदकों के आधारकार्ड, बैंक पासबुक तथा रॉशनकार्ड *(A-6 to 17)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. साक्षी के तौर पर उपस्थित होने पर मृतक की पत्नी ने आवेदक कमांक–2, 3 एवं 4 को मृतक की संतान एवं कमांक–5 एवं 6 को मृतक के माता–पिता निरूपित किया है. अतः दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर सभी आवेदक मृतक की पत्नी, संतान एवं माता–पिता होने के तौर पर *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन– 123 (B) (i)(ii)* के अधीन आश्रित मान्य किये जाते हैं.

13. चूंकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

14. माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग एक के अधीन निर्धारित रूपये 8,00,000/- की राशि एवं इस पर घटना दिनांक 09-03-2020 से भुगतान तिथि तक की अवधि पर 09% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज भी संदेय होगा. अतः निर्धारित आश्रित ब्याज सहित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

15. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये 8,00,000/- में से आश्रित के तौर पर आवेदकों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

निरंतर......6/पर

Sd/

रेल दावा अधिकरण * प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि * भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

Sl No	Name of the Applicants	Relation ship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं कॉलम–5 की राशि पर गणित समस्त ब्याज)	As Fixed Deposit/ Annuity (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1)	श्रीमती भारती अहिरवार	पत्नी	34	3,00,000/-	30,000/-	2,70,000/-
2)	नितिन अहिरवार	पुत्र	13	1,00,000/-	--	1,00,000/-
3)	कुमारी हनी	पुत्री	10	1,00,000/-	--	1,00,000/-
4)	कुमारी हर्षिता	पुत्री	10	1,00,000/-	--	1,00,000/-
5)	खिलान अहिरवार	पिता	74	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
6)	श्रीमती शांति बाई	माता	64	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-

16. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *09-03-2020* से भुगतान तिथि तक की अवधि पर *09%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

17. उक्त तालिका के कॉलम संख्या–6 की राशि एवं प्रतिकर राशि पर समस्त देय ब्याज को सम्बन्धित लाभार्थी/लाभार्थियों के सीधे खाते में स्थानांतरित की जाएगी एवं कॉलम–7 में दर्शाई गई शेष राशि को लाभार्थी क्रमांक–1 के लिए रूपये 6,000/- प्रति माह के हिसाब से एक माह से 45 माह की अवधि के लिए, लाभार्थी क्रमांक–5 एवं 6 के लिए रूपये 3,000/- प्रति माह के हिसाब से एक माह से 30 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी. लाभार्थी क्रमांक–2, 3 एवं 4 चूंकि अवयस्क है इसलिए ब्याज सहित संदेय सम्पूर्ण प्रतिकर राशि को इनके वयस्क होने की अवधि तक फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज इनके लालन–पालन के लिए नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आवेदक क्रमांक–1 मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार आहरित कर सकेगी.

18. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

19. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

20. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

21. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत

निरंतर.........7/पर

Sd/

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

22. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

23. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

24. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

25. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No.* 10064520760 *IFSC Code :* SBIN0005798 *(State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में RTGS के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

26. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

27. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाऍं शुरू नहीं की जाएगी.

28. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर). बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

29. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

30. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा.

31. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

शेष.......8/पर

Sd/-

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

32. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

33. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

34. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

35. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

Sd/

(अजय ...)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 19th July, 2024 को ... हस्ताक्षरित किया गया.

Sd/

(अजय कुमार ...)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

रेल दावा अधिकरण * भोपाल पीठ, भोपाल * प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

21/7/24
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल